भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 18/जीएस/21-2017 **दिनांक: 24.01.2017**

निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली, अपने पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय में अपने वाटर कूलर के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण ठेके (सीएएमसी) हेतु पंजीकृत और नामी एजेंसियों से एकीकृत तरीके (एकल बोली) के तहत मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करता है जैसाकि अनुबंध-I (सामान्य शर्तें एवं निर्बंधन), अनुबंध-II (कार्य अनुसूची एवं मूल्य उद्धरण) तथा अनुबंध-III (निविदा आवेदन फार्म) में विवरण दिया गया है।

मुहरबंद उद्धरण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जीएस) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 को सम्बोधित निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत रूप से भर कर **दिनांक 17.02.2017** को 11.00 बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। मुहबंद उद्धरण नियत तिथि एवं समय तक इस कार्यालय के जीएस अनुभाग में डिलीवर किया जाना चाहिए। सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के जीएस अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में अपराहन 4.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे के बीच लिया जा सकता है। यह http://saiindia.gov.in. वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह बोली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में इस कार्यालय द्‌वारा प्राधिकृत समिति द्‌वारा तथा ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक है समिति कक्ष में **दिनांक 17.02.2017 को अपराहन 3:00 बजे** खोली जायेगी। सक्षम प्राधिकारी के पास कोई कारण बताए बिना किसी या सभी उद्धरणों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

संलग्न:

1. संलग्नक-I (सामान्य निबंधन एवं शर्तें/कार्य की सूची)
2. संलग्नक-II (कीमतों का उद्धरण)
3. संलग्नक-III (निविदा आवेदन फार्म)

निविदा सं. 18/जीएस/21-2017 **दिनांक: 24.01.2017**

अनुबंध-I

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय तिथि अनुबंध-।। में उल्लेख के अनुसार कार्यों की अनुसूची के अनुसार अपने वाटर कूलरों के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण ठेका प्रदान करेगा।

2. **पार्टियां:-** बोली की पार्टियां बोलीदाता (जिसे कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होंगी।

3. **पता:-** इसके अंतर्गत विवाचन सहित सीएएमसी के सभी उद्देश्यों के लिए बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक कि बोलीदाता भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पृथक पत्र द्वारा पते के परिवर्तन की अधिसूचना नहीं देगा। उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन की अधिसूचना देने में किसी गलती या चूक के परिणामों हेतु बोलीदाता ही उत्तरदायी होगा।

4. **बयाना राशि:** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 10,000/- (₹ दस हजार केवल) की बयाना राशि उनके यथावत भरे गए बोली दस्तावेजों सहित बोलीदाता द्वारा जमा की जानी चाहिये। बैंक गारंटी की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू होने वाले 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट **पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में और नई दिल्ली** में देय होना चाहिये।

4.1 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा धारित किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या सुरक्षा जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4.2 बोलीदाता को इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन या अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें किये गये अनुबंध के पालन और अनुपालन को पूरा करने में विफल रहे या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे या कार्य आदेश की अस्वीकृति के

मामले या निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में असफल होने के मामले में निविदा में भावी भागीदारी समाप्त करने के अतिरिक्त उपरोक्त बैंक गारन्टी सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी।

4.3 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।

4.4 बयाना राशि जमा सुरक्षा जमा की राशि पर ब्याज या मूल्य में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।

4.5 यदि किसी मामले में ऐसे बोलीदाताओं जिनके उद्धरण के चयन पर विचार नहीं किया जाता तो निर्णय के एक महीने के भीतर बोलीदाताओं को भुगतान के पृष्ठांकन सहित बोली सुरक्षा जमा (ईएमडी) वापस कर दिया जाएगा। यदि बोलीदाताओं जिनकी निविदा आर्डर जारी करने हेतु स्वीकार कर ली जाती है तो बोली सुरक्षा को जमा निष्पादन सुरक्षा का 5% कर दिया जाएगा। बोलियों को एकीकृत तरीके अर्थात बोली दस्तावेज में कथित इस कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा वाटर कूलर की सीएएमसी के साथ समर्थित बयाना राशि जमा सहित विशिष्ट प्रॉफार्मा में कीमतों को उद्धृत करते हुए लिफाफे मे एकल बोली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.1 **निविदा पर हस्ताक्षर:** ठेका से संबंधित बोलियों या अन्य दस्तावेजों पर वैयक्तिक हस्ताक्षर करने वाले को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि उसने निम्नलिखित के रूप में हस्ताक्षर किया है:-

(क) फर्म का ‘‘एकल स्वामी’’ या ऐसे एकल स्वीमी का कानूनी अटार्नी।

(ख) फर्म का भागीदार, यदि यह भागीदारी फर्म है, जिसमें उसके पास फर्म तरफ से ठेकों को कार्यान्वित करने और या तो फर्म के भागीदारों द्वारा भागीदारी करार के आधार पर या यथावत निष्पादित अटार्नी के अधिकार द्वारा भागीदारी के कारबार से संबंधित विवाचन विवादों को भेजने का अधिकार होनो चाहिए।

(ग) बोर्ड या कम्पनी यदि यह एक कम्पनी है, के निदेशकों द्वारा विधिवत प्राधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी।

(घ) बोलीदाता बोलियों के प्रत्येक पृष्ठ और अपने अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी/अपनी फर्म की मुहर लगाएगा क्योंकि बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के स्वीकरण को ठेका के रूप माना

जाएगा और कोई पृथक औपचारिक ठेका तैयार नहीं किया जाएगा। **इस बोली दस्तावेज से कोई पृष्ठ हटाया/अलग नहीं किया जाना चाहिए।** (यह उप-खण्ड उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां पृथक करार के हस्ताक्षर को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक समझा गया है)

6. **बोलियों की वैधता**

बोलियाँ, बोलियों के शुरू होने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी।

7. **बोली खोलने की प्रक्रिया:**

बोली के खोलने की प्रक्रिया में एक से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा। बोलीदाता स्वयं उपस्थित रह सकता है या किसी को अधिकृत कर सकता है, प्रतिनिधि को बोलीदाता की तरफ से बोली खोलने में भाग के लिए अपने साथ बोलीदाता से प्राधिकार पत्र एवं पहचान का सबूत लाना होगा।

8. **बोलियों के खोलने का स्थान:** बोली, समिति कक्ष में दिनांक 09.09.2016 को 3:00 बजे अपराहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा, ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं, खोली जाएगी।

9. **स्वीकृति का अधिकार:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी भी बोली को अस्वीकार करने के सभी अधिकार हैं जिनमें वे बोलीदाता भी शामिल हैं जो बिना किसी कारण बताएं निर्देश का अनुपालन करने में विफल हों तथा न्यूनतम अथवा किसी भी विशेष बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम अथवा बाध्यकारी होगा।

9.1 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में बोलीदाता की ओर से कोई भी असफलता तथा कार्य के लिए प्रचार करने के प्रयास से बोलीदाता की बोली अस्वीकृत हो जायेगी।

9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अपने विवेक से किसी सफल एजेंसी (सियों) को कोई भाग अथवा पूर्ण संविदा प्रदान करने का अधिकार है और यह बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

9.3 एजेंसी जिसे संविदा प्रदान की गई है, द्वारा उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के प्रावधान के अनुपालन की विफलता की स्थिति में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के

सक्षम प्राधिकारी को अगले उच्च बोलीदाता अथवा अन्य किसी बाहरी एजेंसी को संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा कीमत की भिन्नता चूककर्ता एजेंसी से वसूल की जाएगी जिसे प्रारंभिक रूप से संविदा प्रदान की गई है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

10. **संविदाकार को सहायता:** संविदाकार न तो संविदा पूर्ण करने के लिये आवश्यक सामग्री की खरीद में और न ही दूसरे प्रकार से सहायता के लिये पात्र होगा।

11. **स्वीकृति की सूचना:** सफल बोलीदाता को उनकी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जायेगा।

12. **संविदा की वैधता:** सीएएमसी, यदि दी जाती है, शुरूआत में ठेका देने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये होगी यदि निरंतर संतोषजनक कार्य-निष्पादन हो। तथापि, संविदाकर/सफल बोलीदाता द्वारा इस पहलू में विफलता पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पास संविदाकार द्वारा जमा सुरक्षा जमा जब्त करने के अतिरिक्त तुरंत संविदा समाप्त करने और एकमात्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार पर ब्लैक लिस्ट आदि करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। दो वर्षों की आरंभिक अवधि को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के विवेकाधिकार पर एक वर्ष की अधिकतम एक अतरिक्ति अवधि तक बढाया जा सकता है।

13. **प्रतिभूति जमा:** बोलियों के स्वीकरण पर ठेकेदार/सफल बोलीदाता भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में, नई दिल्ली मे देय, बैंक प्रत्याभूति के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में ठेके के निविदा मूल्य का 5% के समान राशि जमा करेगा। बैंक गारन्टी को संविदा की किसी निबंधन/शर्त का गैर अनुपालन या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश की गैर स्वीकृति अथवा किसी भी लापरवाही या उल्लंघन के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर उपरोक्त बैंक गारन्टी का ऐसा भाग फर्म के बिल पर किए गए किसी गलत या अत्यधिक भुगतान को कवर करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा रखा जा सकता है, जब तक फर्म के बिल के लेखे पर अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति अथवा जांच नहीं हो जाती।

क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति को जमा करने के लिए बुलाया जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदाकार के जोखिम तथा खर्च पर अन्य प्रबन्ध करने का हकदार होगा।

(ख) सभी संदर्भों में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर, जमा प्रतिभूति निर्धारित फार्म में पूर्ण बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित ठेकेदार को जारी किए गए किन्हीं विनिर्देश कों, नमूनों अथवा अन्य सम्पत्ति के अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापिस की जाएगी।

14. शास्ति:

(क) संविदा की किसी शर्त के उल्लंघन के मामलें में तथा संविदा के दौरान घटित हुई सभी प्रकार की हानियों के लिए, ठेकेदार को ऐसे हानियों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी होगी।

(ख) अनुबंधों में यथा निर्धारित या ठेकेदार द्वारा ठेका में सहमति दिए गए निष्पादन कार्यों में लापरवाही के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय ठेकेदार की लागत और जोखिम पर अन्य स्रोतो से वाटर कूलर का रखरखाव तथा मरम्मत के लिए स्वतंत्र होगा और ठेकेदार द्वारा दिए गए बिलों से कटौती करेगा या इसके या किसी दूसरे ठेके या प्रतिभूति जमा के अंतर्गत ठेकेदार को देय हो जाएगा या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के क्रेडिट में सात दिनों में भुगतान करने के लिए उससे मांग की जा सकती है।

(ग) यदि ठेकेदार ने उसी दिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया (जो कि शिकायत दर्ज करने के 12 घंटों के भीतर) तो ऐसी लापरवाहियों के लिए उपरोक्त उप पैरा बी में दी गई कटौतियों से अलग प्रतिदिन/प्रति शिकायत 500/- का दण्ड देना होगा।

(घ) इस शर्त के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की शक्तियों प्रावधानों के अनुसार न तो उनमें निहित ठेका को समाप्त करने के लिए कतिपय मामलों में शक्तियों को किसी भी तरह प्रभावित करेगी और न ही उपरोक्त खण्ड 13 के अन्तर्गत उल्लिखित जमा को जब्त करेगी।

15. **दावा त्यागना:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने की मनाही है। इस उद्देश्य के लिए संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री, पुत्री का पति (दामाद), भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति (बहनोई)।

16 **दिवालियापन:**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित घटना में से किसी घटना पर ठेकेदार को बिना मुआवजे के सरसरी तौर पर लिखित में नोटिस द्वारा ठेका समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:

यदि ठेकेदार व्यक्तिगत या फर्म के रूप में ठेकदार की फर्म का कोई भागीदार, किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरूद्ध उसकी संपदा के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशो या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने क्रेडिटरों के साथ समझौता या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म भागीदारी के तहत भंग की जाती है अथवा;

i) यदि एक कम्पनी होने के नाते ठेकेदार एक संकल्प पारित करेगा या न्यायिक मामलों के परिसमापन के लिए आदेश करेगा या डिबेंचरधारक की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो न्यायालय या डिबेंचर धारक को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति का हकदार बनाए।

ii) यदि ठेकेदार इस ठेके का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो, बशर्ते कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार उपचित किया जाएगा या उसके बाद खरीददार को उपार्जित होगा और मुहैया किया गया है कि ठेकेदार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान का दायी होगा, इस प्रकार वह, किसी लाभ या पुन: खरीद का हकदार नहीं होगा।

17. **ठेका भंग करना:**

ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में, भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए ठेका रद्द करने का अधिकार होगा तथा निष्पादन बैक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा तथा उसे जब्त और भुना लिया जाएगा।

18. **कार्य का उप-ठेका देना:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार ठेका या उसके किसी भाग का उप-ठेका, आगे किराये पर देना, हस्तांतरण या कार्य नहीं सौंपेगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन में, सक्षम प्राधिकारी ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर अन्य किसी को ठेका देने का हकदार होगा और ठेकेदार उस हानि क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ठेके के इस प्रकार प्रतिस्थापन के कारण हो सकती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन के कारण उत्पन्न और इसके परिणाम को बनाए रखने के लिए कर सकता है।

19. **भुगतान की शर्तें:**

19.1 कार्य प्रदान करने के आधार पर अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

19.2 ठेके के लिए तिमाही भुगतान किया जाएगा तथा ठेकेदार को बिल की राशि की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए बिल पास करने हेतु पिछले माह के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही के अन्त में बिल प्रस्तुत करना होगा।

19.3 सभी भुगतान सरकार के नियमों के अनुसार तथा समय -समय पर लागू रूप में टीडीएस घटाने के पश्चात केवल चैक द्वारा ही किए जाएंगे।

19.4 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित जुर्मानों की वसूली के तहत किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की स्वतंत्रता होगी।

19.5 इस पैरा में वर्णित शब्द 'भुगतान' में ठेके के पृथक खण्डो द्वारा शासित बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा को छोड़कर इस ठेके के कारण उत्पन्न ठेकेदार को देय सभी प्रकार के भुगतान सम्मिलित है।

20. प्रमाण पत्र/प्रत्ययपत्र

क. बोलीदाता को इस संदर्भ में सरकारी कार्यालयो में वॉटर कूलरो की मरम्मत करने में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। **संबंधित सरकारी कार्यालय द्वारा जारी सहायक दस्तावेज उद्धारणों** के साथ सलंग्न होने चाहिए।

बोली दस्तावेजो में वर्णित दिए जा रहे कार्य की मात्रा/आवश्यकता अनंतिम है तथा यह भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार भिन्न हो सकती है।

21. **जांच:** यह कार्य, किसी भी मामले में, कार्यान्वयन के बाद भरत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए दायी होगा और विनिर्देश/ गुणवता के अनुसार न पाई गई किसी मद (ओं) को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार को अपनी लागत तथा जोखिम पर उक्त को पुन: कार्यान्वित करना होगा और अन्यथा वह ऐसे निरस्तीकरणें के लिए उत्तरदायी होगा।

22. ठेकेदार की ओर से ठेकागत दायित्व:

i. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल संबंधित ब्रांडो द्वारा प्राधिकृत उच्च गुणवत्ता के ब्रांड को ही सीएएमसी के दौरान खराब पुर्जो, अतिरिक्त पुर्जे के प्रतिस्थापन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बाद में निम्न गुणवत्ता/अन्य ब्रांड/खराब गुणवत्ता मदो की

आपूर्ति की जाती है तो प्रतिभूति जमा की जब्ती तथा उन्हें भविष्य में बोली से प्रतिबंधित करने सहित ठेकेदार के प्रति आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ii. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके इंजीनियरों द्वारा इस कार्यालय की दोनों भवनो में सभी वॉटर कूलरो की सामान्य जांच के लिए अनिवार्य रूप से कम से कम दो दौरे प्रत्येक माह यह देखने के लिए किया जाता है कि सीएएमसी के तहत सभी उपकरण उचित प्रकार से कार्य कर रही है।

iii. सीएमएएमसी व्यापक होगी। वॉटर कूलरो की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार की मरम्मत और रख-रखाव, सभी सामग्री, उपभोग्य वस्तुएं (कंप्रेसर, कंप्रेसर गैस, आदि की प्रतिस्थापना) या किसी अन्य उपभोग्य वस्तुओं के प्रतिस्थापन के कारण लागत इसमें सम्मिलित है।

iv. ठेकेदार को शिकायते दर्ज कराने के लिए अपनी सर्विस एजेसी के टेलीफोन नम्बर के अलावा निविदा आवेदन फॉर्म (अनुबंध-।।।) में एक ई-मेल एकाउंट अनिवार्य रूप से देना चाहिए। ठेकेदार द्वारा सभी शिकायतो को उनके दर्ज होने (ईमेल या टेलीफोन) के 12 घंटो के अन्दर तत्काल देखा जाना चाहिए जिसमें विफल होने पर ठेकेदार पर पैरा 14 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

v. ठेकेदार को वॉटर कूलरो के रख-रखाव के संदर्भ में सभी सुरक्षा सावधानी रखनी होगी जिसमें विफल होने पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय पर कोई भी देयता नहीं होगी।

vi. सभी वॉटर कूलरो से संबंधित मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य ठेकेदार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय परिसर में ही किया जाएगा। हालांकि यदि वॉटर कूलरो को कार्यालय परिसर के बाहर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो यह ठेकेदार द्वारा उसके अपने जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

23. मध्यस्थता: फर्म और इस कार्यालय के बीच किसी भी विवाद या मतभेद होने पर, चाहे वह इन शर्तों एवं निबंधनों के तहत आदेशों के निष्पादन के दौरान हो अथवा उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।

24. ठेकेदार दिल्ली/नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ. प्रशासनिक अधिकारी (सा.से)

निविदा सं. 18/जीएस/21-2017 **दिनांक: 24.01.2017**

अनुबंध-II

कार्यों की सूची/आपका कीमत उद्धुत करें

क्र.सं.	मद विवरण	मात्रा (संख्या)	क्षमता (लि.)	स्थान	प्रत्येक ईकाई के लिए उद्धुत वार्षिक मूल्य (रूपये)	सभी ईकाईयो के लिए उद्धुत वार्षिक मूल्य (रूपये)
1.	ब्लू स्टार द्वारा बनाए गये वॉटर कूलर	13		पाकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली		
2.	ब्लू स्टार द्वारा बनाए गये वॉटर कूलर	9	150	10, बहादूरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली		
		कुल उद्धुत वार्षिकमूल्य				
		कर- यदि कोई				
		कुल वार्षिक संविदा मूल्य				

नोट: कुल ईकाईयां **80 लि. = 13**
150 लि. = 09

(i) बोलीदाता द्वारा वार्षिक मूल्यो को उद्धृत किया जाना चाहिए।

(ii) ठेकेदार द्वारा तिमाही भुगतान राशि मे कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जैसा कि भुगतान के (अनुबंधन-I) की शर्तों में परिभाषित है जिसमे विफल होने पर बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iii) कीमत एक वर्ष तक वैध होंगे और ठेके के दौरान कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

(बोलीदाता का नाम)

तिथि:

स्थान: **(अधिकारिक मुहर)**

पूरा नाम एवं पदनाम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 18/जीएस/21-2017 **दिनांक: 24.01.2017**

अनुबंध-III

<u>निविदा आवेदन फार्म</u>

1.	बोलीदाता एजेंसी का नाम	
2.	पूरा डाक पता	
3.	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं./ फैक्स नं.	
4.	ई-मेल	
5.	संबंधित की प्रकृति *(साझेदारी/लि.कं./सरकारी कंपनी/पीएसयू/{स्वामित्व)(पंजीकरण की प्रति संलग्न की जाएं)*	
6.	पंजीकरण सं. (पंजीकरण/साझेदारी विलेख/स्वामित्व विलेख की सत्यापित/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)	
7.	क्या बोलीदाता के पास सरकारी विभाग में इस क्षेत्र में लगातार पाँच वर्ष से अधिक कार्य करने का अनुभव है। (यदि हाँ, संबंधित सरकारी कार्यालय से पूर्णत: सत्यापित समर्थन दस्तावेज/अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न की जाए)	
8.	पैन खाता सं. (पैन की सत्यापित/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)	
9.	सेवाकर सं. (सेवाकर की सत्यापित/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)	
10.	ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट सं. एवं तिथि	
	जारीकर्ता बैंक का विवरण	
	राशि	

<u>वचन</u>

1. मै. अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हॅूं कि मैनें बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हॅूं।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध हैं और ठेके की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत दरें न्यूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में प्रस्तुत हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 18/जीएस/21-2017 **दिनांक: 24.01.2017**

3. मैं/हम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को मेरे/एजेन्ट की ओर से कोई विलम्ब या वांछित सेवा प्रदान करने में विफलता अथवा कार्य आदेश की गैर स्वीकृति अथवा दिए गए समय में वांछित गुणवत्ता या निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने में विफलता के मामले में जमा को जब्त करने का अधिकार देता हॅू।

4. मैं एतद्‌द्‌वारा घोषणा करता हूँ कि मैं निविदा दस्तावेज/कार्य आदेश/करार की शर्तों में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सेवायें प्रदान करूंगा, यदि मैं विफल हुआ तो मुझे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्‌वारा ब्लैक लिस्टेड/वंचित किया जा सकता है।

5. मैं यह भी घोषणा करता हॅूं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय ने हमें या हमारी किसी भी शाखा को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, छल-कपट या अनैतिक कार्यों अथवा किसी भी प्रकार की विफलता/चूक के लिए अनर्हक या ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

पदनाम:

(बोलीदाता की कार्यालय मुहर)